झारखण्ड सरकार श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

अधिसूचना

एस0ओ०

दिनांक

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (1948 का 11) की धारा–3 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल यह घोषणा करते हैं कि एतद् संबंधी संलग्न अनुसूची के स्तम्भ–2 में उल्लिखित अनुसूचित नियोजनों मे नियोजित कर्मचारियों के प्रायोज्य मूल्य सूचकांक तालिका के स्तम्म-2 में प्रदर्शित मासों के लिए उक्त अधिनियम की धारा-2 के खण्ड (डी) के प्रयोजन के निमित तालिका के स्तम्भ-3 में यथा प्रदर्शित रूप में होंगे।

क्र0 सं0	माह एवं वर्ष	अखिल भारतीय उपमोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2016 = 100)
1	2	3
1.	जनवरी, 2023	132.8
2.	फरवरी, 2023	132.7
3.	मार्च, 2023	133.3
4.	अप्रैल, 2023	134.2
5.	मई, 2023	134.7
6.	जून, 2023	136.4
7.	कुल	804.1
8.	6 माह का औसत	804.1÷6 = 134.016
9.	Conversion from new series (2016 = 100) to Old series (2001 = 100)	134.016 × 2.88 = 385.96 ਧਾ 386
10.	24.10.2019 में पुनरीक्षित / निर्धारित औसत सूचकांक	301 बिन्दु
	सूचकांक में वृद्धि	
11.	प्रतिशत वृद्वि = <u>85 x 100</u> 301	28.23 %

परिवर्तनशील महँगाई भत्ता की दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के उस औसत बिन्दु पर आधारित होंगी, जिस पर संलग्न अनुसूचित नियोजनों में परिवर्तनशील महँगाई भत्ता की दरें निर्धारित / पुनरीक्षित की गई है। उपर्युक्त सूचकांक में यथा स्थिति वृद्वि अथवा हास के अनुसार न्यूनतम मजदूरी की दरों में उपर्युक्त अनुसूची के स्तम्भ–3 में अंकित दर से वृद्वि या कमी की जाएगी और उसे परिवर्तनशील महँगाई भत्ता का अंश समझा जाएगा। परन्तु यदि सूचकांक उस बिन्दु से कम हो जाय जिस पर परिवर्तनशील महँगाई भत्ता की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई है, तो उक्त अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित परिवर्तनशील महेंगाई भत्तों की दरों में कमी नहीं होगी। परिवर्त्तनशील महेंगाई भत्ता का भुगतान उपर्युक्त दर से, जो जनवरी से जून, 2023 (वर्ष–2023 का प्रथम अर्द्वांश) के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत पर आधारित है, दिनांक—01.10.2023 की तिथि से देय होगा।

1

(संख्या-2/एम0डब्लू0-2071/20210, अ0नि0, 1913, राँची, दिनांक 18.09.2022)

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से, प्रिटिज कि अवर सचिव, श्रमायुक्त, कार्यालय, झारखण्ड।

अधिसूचना

2

एस0ओ0.....दिनांकका अंग्रेजी भाषा में निम्नांकित अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद—348 के खण्ड—3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

090 सचिव

श्रमायुक्त, कार्यालय, झारखण्ड।

NOTIFICATION

S.O...../dated/In exercise of the powers conferred by section-3 of the Minimum Wages Act, 1948 (XI of 1948), the Governor of Jharkhand is pleased to declare that the consumer price index number applicable to the employees employed in schedule employments mentioned in column-2 of the attached Schedule-1, for the months shown in column-2 of the schedule mentioned below, shall be as shown in column-3 of the said schedule for the purpose of clause (d) of section-2 of the said Act.

S.N.	Month & Year	All India Consumer Price Index No. (2016 =100)		
1	2	3		
1	January, 2023	132.8		
2	February, 2023	132.7		
3	March, 2023	133.3		
4	April, 2023	134.2		
5	May, 2023	134.7		
6	June, 2023	136.4		
7	Total	804.1		
8	Average	804.1 ÷ 6= 134.016		
9	Conversion from new series (2016 = 100) to Old series (2001 = 100)	134.016 X 2.88 = 385.96 OR, 386		
10	Revised / fixed Price index no.as on 24.10.2019	301 Point		
	Increase in CPI	386 - 301 = 85 Point		
11	Percentage Increase = <u>85 X 100</u> 301	28.23 % increase		

The rates of variable dearness allowance will be based on the average of all India Consumer Price Index on which the minimum rates of wages have been fixed/revised in the schedule employments. There will be increase or decrease in rates of wages shown in column-3 of schedule with rise or fall as the case may be in aforesaid Index of the schedule employments and it will be deemed as variable dearness allowance component. But even if index falls below the points on which minimum rates of wages had been fixed/revised, there will not be any reduction in the minimum wages fixed/revised.

The payment of variable dearness allowance on the basis of average Consumer Price Index of January-June, 2023, which is 1st half of 2023, will be payable **from 01.10.2023**

[No-2/MW-2071/2010 L&T-1913 Ranchi, Dated 18.09.2023]

By Order of the Governor of Jharkhand,

Secretary,

Under Secretary, Labour Commissioner Office, Jharkhand.

क्र0 सं0	अनुसूचित नियोजनों का ' नाम	अधिसूचना सं० एवं तिथि	जुलाई से दिसम्बर 2018 तक का औसत मूल्य सूचकांक जिस पर न्यूनतम मजदूरी दरे निर्धारित की गई है।	जनवरी, 2023 से जून, 2023 तक का औसत मूल्य सूचकांक जिस पर महँगाई भत्ता देय है।	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि (4 – 5)	बढ़े हुए मूल्य सूचकांक पर परिवर्तनशील महेँगाई की अतिरिक्त राशि	तिथि जब से परिवर्तनशील महँगाई भत्ता की राशि देय होगी।
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	बाँध निर्माण एवं सिंचाई कार्यो के नियोजन	अधिसूचना सं० - 1879 दिनांक- 24.10.19	301	386	386–301 =85बिन्दु अर्थात <u>85 x 100</u> 301 =28.23 %की वृद्धि	 क) रु० 274.81 पर रु० 77.57 प्रतिदिन ख) रु० 287.90 पर रु० 81.27 प्रतिदिन ग) रु० 379.51 पर रु० 107.13 प्रतिदिन घ) रु० 438.39 पर रु० 123.75 प्रतिदिन घ) रु० 438.39 पर रु० 123.75 प्रतिदिन क) रु० 7145.06 पर रु० 2017.05 प्रतिमाह ख) रु० 7485.40 पर रु० 2113.12 प्रतिमाह ग) रु० 9867.26 पर रु० 2785.52 प्रतिमाह घ) रु० 11398.14 पर रु० 3217.69 प्रतिमाह 	दिनांक— 01.10. 2023 से देय
2.	पकाई हुई खाद्य वस्तु बेचने वाली दुकानों के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव

अनुसूची- 1

3.	चर्म शोधनालय और चर्म विनिर्माण शालाओं के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
4.	कोल्ड स्टोरेज के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	त्तदैव	त्तदैव	तदैव
5.	डिस्टीलरी के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
6.	पोट्रीज़ के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
7.	बेकरीज़ एवं कान्फकेशन के नियोजन	त्तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
8.	को–आपरेटिव सेक्टर के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
9.	अल्यूमिनियम उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
10.	खण्ड् सारी उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
11.	केमिकल एण्ड फर्मास्युटिकल उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
12.	साबुन निर्माण उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
13.	सीमेंट प्री–स्टेस्ट प्रोडक्शन उद्योग के नियोजन	त्तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
14.	एसबेस्ट्स सीमेंट कारख़ाना के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	त्तदैव	तदैव	तदैव
15.	ग्लास सीट निर्माण के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
16.	बन्दुक कारखाने के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
17.	धार्मिक एवं सामाजिक संस्थान के नियोजन	त्तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
18.	पेपर उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
19.	लॉन्ड्री एवं वॉशिंग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
20.	होजियारी निर्माण के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
21.	सिंदुर एवं रंग बनाने का	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव

forze

4

- . .

F98

	1						<u> </u>
	उद्योग के नियोजन						
22.	चर्म–वस्तु निर्माण के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
23.	उड वर्क्स एवं फर्नीचर के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
24.	आइसक्रीम एवं कोल्ड ड्रिंक्स के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	त्तदैव	तदैव
25.	पेट्रोल एवं डीजल पम्प्स के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
26.	फिशरीज़ के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
27.	खादी ग्रामोद्योग के नियोजन	तदैव	त्तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	त्तदैव
28.	प्राइवेट फेरिज एण्ड एल०टी०सी० के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
29.	हार्ड कोक भट्ठा के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
30.	निजी अस्पताल नर्सिंग होम्स एवं क्लिनिक्स के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
31.	सड़क के निर्माण या अनुरक्षण अथवा निर्माणकार्यों के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
32.	मुद्रणालय के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
33.	अबरक कार्यो(खदानों को छोड़कर कारखाने एवं प्रतिष्ठान) के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
34.	हैंडलूम उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
35.	स्वर्ण एवं रजत आभूषण तथा कलापूर्ण सामग्रियों के निर्माण के निर्याजन	त्तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
36.	रिफैकट्ररीज फायर ब्रिक्स एवं सिरामिक्स उद्योग के नियोजन	त्तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
37.	किसी भी	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव

*

	सम्मिलित है) के नियोजन						
	कम्पाउन्ड उद्योग (जिसमें टायर एवं ट्यूब का निर्माण भी	त्तदैव	तदैव	तदैव	त्तदैव	त्तदैव	तदैव
46.	सिलाई उद्योग के नियोजन रबर एवं रबर	तदैव	तदैव	त्तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
45.	चावल मिलों, आटा मिलों, दाल मिलों, तेल मिलों के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
44.	सिनेमा उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
43.	ऑटो मोबाइल इंजीनियरिंग शॉप के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
42.	डेयरी एवं पोल्ट्रीफर्म्स के नियोजन	त्तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
41.	ऊनी कालीन बनाने वाले या शाल बुनने वाले किसी प्रतिष्ठान के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
40.	होटल, भोजन–गृहों एवं रेस्तराओं के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
39.	किसी विश्व विद्यालयों, शैक्षणिक शोध अथवा सांस्कृ तिक संस्थान के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	त्तदैव
38.	पब्लिक मोटर ट्रांसपोर्ट के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	त्तदैव	तदैव
	अन्य प्रविष्टि के अंतर्गत आने वाली दुकान या प्रतिष्ठान के अलावा किसी अन्य दुकान अथवा प्रतिष्ठान के नियोजन	-					

e.	उद्योग के						
50.	नियोजन सीमेंट से						
	हयूम पाईप, बिजली का खम्भा एवं रेलवे स्लीपर बनाने के उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
51.	कृषि नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
52.	जिल्दसाजी उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
53.	शीशा उद्योग के नियोजन (ग्लास शीट को छोडकर) के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
54.	दफ्ती, कार्डबोर्ड, पिलबोर्ड, कारगेटेड बोर्ड, एस्ट्राबोर्ड या गत्ता पेपर बोर्ड निर्माण के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
55.	इलेक्ट्रोनिक उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
56.	प्लाइवूड उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
57.	ढलाई (फाउण्ड्री उद्योग) के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
58.	बिस्कुट उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
59.	कोल ब्रिकेट उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
60.	प्राइवेट सिक्यूरिटी एजेंसी के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
61.	लघु अभियंत्रण उद्योग (स्वचालित अभियंत्रण दुकानों को छोडकर) के नियोजन	तदैव	त्तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
62.	मिनरल ग्राईडिंग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
63.	बुहारने और सफाई का कार्य के	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव

*

		1		1			
	नियोजन						
64.	स्पंज आइरन छड़ निर्माण एवं लोहा से एंगल बनाने तथा इनगोट के नियोजन	तदैव	तदैव	तदेव	तदैव	तदैव	तवै
65.	मोटर गैराज एण्ड वर्क्स शॉप के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदै
66.	मोटर बॉडी बिल्डिंग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदै
67.	मेस, कैंन्टीन एवं क्लब के नियोजन	त्तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदै
68.	चार्टेड / कॉस्ट अकाउंट्स / औडिटर / टैक्स कंसल्टेन्सी एंड आर्किटेक के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदै
69.	प्राइवेट तकनीकी संस्थान, कोचिंग इंस्टिटच्यूट निजी स्कूल आदि के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदै
70.	जमीन के नीचे वाटर सप्लाई पाईप लाइन एवं केबुल बिछाने के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदै
71.	इलेक्ट्रिसिटी जेनरेटर एण्ड सप्लाई के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदै
72.	पंडाल आदि का साज सज्जा आदि के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदै
73.	ग्राईडिंग एण्ड क्रशिंग आफ मिनरल ओर के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदै
74.	सवारी एवं माल वाहक वाहन चलाने वाले ड्राईवर / खलासी / परिचालक आदि के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदै
		तदैव	तदैव	तदैव	तदैव		1

ĺ

	शिक्षा संस्थान आदि के नियोजन						
76.	मोबाईल टावर इत्यादि के संचालन के कार्य	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
77.	विक्रय प्रोत्साहन कर्मचारी (सेवा की शर्ते) अधि० १९७६ से आच्छादित नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से, 0

KTZ गराजी भारती संचिव, श्रमायुक्त, कार्यालय, झारखण्ड।

Schedule-I

Sl. No.	Name of the Schedule Employments	Notification No. and Date	Average of indices of July- December, 2018 of Minimum rates of wages revised	Averageof indices of January, 2023 to June, 2023 on which V.D.A. is payable	Total Variation on Index (5-4)	Amount of V.D.A. on the basis of increase in Price Index slab wise	Date from which additional V.D.A. is payable
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dam Construction and Irrigation	Notification No-1879 Date- 24-10-19	301	386	386 - 301 = 85 Or $\frac{85 \times 100}{301} = 28.23\%$	 (a) On Rs. 274.81 Rs.77.57per day (b) On Rs. 287.90 Rs.81.27per day (c) On Rs. 379.51 Rs.107.13per day (d) Rs.438.39 and above Rs.123.75per day 	With effect from- 01.10.2023

fre

	1		1		-	Manufilia	0
						Monthly (a) On Rs. 7145.06 Rs. 2017.05per month (b) On Rs. 7485.40 Rs. 2113.12 per month (c) On Rs.9867.26 Rs.2785.52per month (d) Rs. 11398.14 and above Rs.3217.69per month	
2	Shops Selling Cooked food stuff	Do	Do	Do	Do	Do	I
3	Tanneries and Leather Manufactory	Do	Do	Do	Do	Do	I
4	Cold Storage	Do	Do	Do	Do	Do	I
5	Distilleries	Do	Do	Do	Do	Do	1
6	Potteries	Do	Do	Do	Do	Do]
7	Bakeries and Confectionaries	Do	Do	Do	Do	Do]
8	Co-Operative Sector	Do	Do	Do	Do	Do]
9	Aluminum Industry	Do	Do	Do	Do	Do]
10	Khandsari Industry	Do	Do	Do	Do	Do]
11	Chemical Pharmaceutical Industry	Do	Do	Do	Do	Do]
12	Soap Making Industry	Do	Do	Do	Do	Do]
13	Cement Pre- Stressed Product Industry	Do	Do	Do	Do	Do	I
14	Asbestos Cement factory	Do	Do	Do	Do	Do	1
15	Glass Sheet Industry	Do	Do	Do	Do	Do]
16	Gun factory	Do	Do	Do	Do	Do	I
17	Religious and Social Industry	Do	Do	Do	Do	Do	Ι

							-
18	Paper Industry	Do	Do	Do	Do	Do	Do
19	Laundry and Washing	Do	Do	Do	Do	Do	Do
20	Hosieries Manufacturing	Do	Do	Do	Do	Do	Do
21	Manufacture of Sindur and Rang	Do	Do	Do	Do	Do	Do
22	Manufacture of leather goods	Do	Do	Do	Do	Do	Do
23	Wood work and Furniture	Do	Do	Do	Do	Do	Do
24	Ice-cream and Cold drink	Do	Do	Do	Do	Do	Do
25	Petrol and Diesel Pump	Do	Do	Do	Do	Do	Do
26	Fisheries	Do	Do	Do	Do	Do	Do
27	Khadi and Village Industry	Do	Do	Do	Do	Do	Do
28	Private Ferries and L.T.C.	Do	Do	Do	Do	Do	Do
29	Hard Coke Oven	Do	Do	Do	Do	Do	Do
30	Private Hospital, Nursing	Do	Do	Do	Do	Do	Do
31	Construction or maintenance of Road or in building construction	Do	Do	Do	Do	Do	Do
32	Printing Press	Do	Do	Do	Do	Do	. Do
33	Mica Works (Factories and Establishment Excluding Mines)	Do	Do	Do	Do	Do	Do
34	Handloom Industry	Do	Do	Do	Do	Do	Do
35	Manufacture of Gold/ Silver ornaments and articles of artistic design.	Do	Do	Do	Do	Do	Do
36	Refractories, Fire bricks ceramic Industry	Do	Do	Do	Do	Do	Do
37	Employment in Any shop or Establishment other than that covered under any of other Entries.	Do	Do	Do	Do	Do	Do
38	Public Motor Transport	Do	Do	Do	Do	Do	Do

WZ.

39	Any University, Educational Research or Cultural Institution	Do	Do	Do	Do	Do	Do
40	Hotels, Eating House and Restaurant	Do	Do	Do	Do	Do	Do
41	Any, Woolen Carpet making or Shawl weaving Establishment	Do	Do	Do	Do	Do	Do
42	Dairies and Poultry Farms	Do	Do	Do	Do	Do	Do
43	Auto Mobile Engineering	Do	Do	Do	Do	Do	Do
44	Cinema Industry	Do	Do	Do	Do	Do	Do
45	Rice Mills, Flour Mills, Dal Mills and Oil Mills	Do	Do	Do	Do	Do	Do
46	Tailoring Industry	Do	Do	Do	Do	Do	Do
47	Rubber and Rubber Compound Industry (in which manufacture of Tyre and Tube is also included)	Do	Do	Do	Do	Do	Do
48	Electric and other type of bulb and Florence Tube Manufacture Industry	Do	Do	Do	Do	Do	Do
49	Plastic Industry	Do	Do	Do	Do	Do	Do
50	Cement Hume Pipe, Electric Pole and Railway sleeper Manufacture Industry	Do	Do	Do	Do	Do	Do
51	Employment in Agriculture	Do	Do	Do	Do	Do	Do
52	Book Binding Industry	Do	Do	Do	Do	Do	Do
53	Dafti, Card Board, Mill Board, Corrugated Board, Gatta Board	Do	Do	Do	Do	Do	Do

ų	Manufactory		1	-	1		
54	Electronics Industry	Do	Do	Do	Do	Do	Do
55	Plywood Industry	Do	Do	Do	Do	Do	Do
56	Employment of Glass Industries (Excluding Glass sheet)	Do	Do	Do	Do	Do	Do
57	Foundry Industry	Do	Do	Do	Do	Do	Do
58	Biscuit Industry	Do	Do	Do	Do	Do	Do
59	Coal Briquette Industry	Do	Do	Do	Do	Do	Do
60	Private Security Agency	Do	Do	Do	Do	Do	Do
61	Minor Engineering Industry (Excluding Automobile Engineering Shops)	Do	Do	Do	Do	Do	Do
62	Mineral Grinding Industry	Do	Do	Do	Do	Do	Do
63	Employment of Sweeping and Cleaning	Do	Do	Do	Do	Do	Do
64	Sponge Iron, Rod manufacturing, and manufacturing of angle from Iron and Ingots	Do	Do	Do	Do	Do	Do
65	Employment in Motor garages and workshops	Do	Do	Do	Do	Do	Do
56	Employment of Motor Body Building.	Do	Do	Do	Do	Do	Do
57	Employment of Mess, Canteens and Clubs	Do	Do	Do	Do	Do	Do
8	Employment in Chartered/Costs accounts, auditors, tax consultancy and Architect.	Do	Do	Do	Do	Do	Do
59	Private Technical Institution,	Do	Do	Do	Do	Do	Do

Pre.

			1				
*	Coaching Institute and Private Schools (Non teaching)						
70	Employment in laying of Under ground cables, electric lines, water supply lines and sewerage Pipe line.	Do	Do	Do	Do	Do	Do
71	Employment in Electricity Generator and supply	Do	Do	Do	Do	Do	Do
72	Employment in Decoration of Pandal etc.	Do	Do	Do	Do	Do	Do
73	Grinding and crushing of Mineral ore.	Do	Do	Do	Do	Do	Do
74	Employment of Bus and Truck Driver/Conducto r and Cleaners.	Do	Do	Do	Do	Do	Do
75	Computer Coaching Institute etc.	Do	Do	Do	Do	Do	Do
76	Employment of Mobile Tower etc.	Do	Do	Do	Do	Do	Do
77	Employment of Sales Promotion (Conditions of service) Act, 1976	Do	Do	Do	Do	Do	Do

By order of the Governor of Jharkhand,

Under Secretary,

Under Secretary, Labour Commissioner Office, Jharkhand.

ज्ञापांक-2/एम०डब्लू०-2072/2010 श्र०नि०. १९१३ रॉची,

दिनांक: 18.09.2023

प्रतिलिपिः—अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, डोरन्डा, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि वे इस गजट की ५०० प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

> भट १८ ७ ००७ अवर सचिव, श्रमायुक्त कार्यालय झारखण्ड।

ज्ञापांक—2/एम॰डब्लू॰—2072/2010 अ॰नि॰.<u>1913</u> राँची, दिनांकः <u>८८०७•२०२२</u> प्रतिलिपिः—माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के सचिव, श्रम, नियोजन ,प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

18/09/23 18/09/23 307 सचिव,

दिनांक: 18.09.2023

श्रमायुक्त कार्यालय झारखण्ड ।

ज्ञापांक-2/एम०डब्लू०-2072/2010 श्र०नि०.1913 राँची,

प्रतिलिपिः—अवर सचिव, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली/उपनिदेशक, श्रम मंत्रालय (वेज सेल), भारत सरकार, नई दिल्ली/मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय), श्रम शक्तिभवन, नईदिल्ली / क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय), धनबाद/ निदेशक, लेबर ब्यूरो, शिमला /चण्डीगढ़ /स्थानिक आयुक्त, झारखण्ड भवन नई दिल्ली/ सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड/ सभी उपायुक्त, झारखण्ड/ सभी उप विकास आयुक्त, झारखण्ड/ सचिव, न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्षद (केन्द्रीय) श्रम शक्तिभवन, नई दिल्ली/ न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्षद के सभी सदस्य गण/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य गव्य विकास निगम,रांची/ निदेशक, सूचना एवं जन—सम्पर्क विभाग, झारखण्ड, रांची/ सभी विभागीय पदाधिकारियों (तकनीकी सहित) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

मिट्टा गिर्णे का किंदी के किं

श्रमायुक्त कार्यालय झारखण्ड ।